(78)

संख्या:98 / P / XXIV-3/11/02(08)05

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव (स्वतन्त्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 14–अक्टूबर, 2011

विषयः– भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु वार्षिक अनुदान को व्यय करने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/49038/5(क)/01(10)/2011–12 दिनांकः 28 सितम्बर, 2011 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, उत्तराखण्ड, देहरादून के नियमित वार्षिक व्यय हेतु रू0 15.00लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एंव आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी भी ऐसी मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

4. फर्नीचर उपकरण आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं शासन के विद्यमान नियमों, आदेशों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैन्युवल का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

5. कम्प्यूटरों आदि का क्रय अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्याः 43/XXXIV/115–सू0 प्रौ0/2008 दिनांकः दिनांक:07.02.2007 एवं अद्यतन शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। क्रय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7. निर्माण सम्बन्धी कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

–2/–

8. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जायेगा और जहॉ आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर तथा मदवार व्यय विवरण यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा अनानुमोदित व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय।

10. स्वीकृत धनराशि/उसके अंश का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाने की दशा में अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के समापन पर सरकार को समर्पित कर दिया जाय।

11. प्रश्नगत धनराशि का लेखा रखा जाय, जिसकी सम्परीक्षा प्रवृत किसी विधि के प्राविधानों, नियन्त्रक तथा महालेखाकार के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा,–02–माध्यमिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 00–आयोजनेत्तर, 11– बालचर स्काउट, 42–अन्य व्यय की मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः35(NP) XXVII(3) 2011-12 दिनांकः 11 अक्टूबर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव
(स्वतन्त्र प्रभार)।

पृष्ठांकनसंख्याः 98/ P/(16)/XXIV-3/11 02(08)05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार) विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग,(घोषणा)उत्तराखण्डशासन।
7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल–पौडी/कुमाऊॅ मण्डल–नैनीताल।
8– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौडी/कुमाऊॅ मण्डल–नैनीताल।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।